कार्यालयः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांकः 04 दिनाँकः 04-1-24

//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् कार्यालय आदेश//

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा के आदेश क्रमांकः स्था./2024/01 दिनाँक 03.01.204 के द्वारा दौसा न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 15 जनवरी,2024(सोमवार) को ''मकर संक्रांति'' का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त आदेश की पालना में सम्पूर्ण दौसा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य(जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा, रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना-पत्र एवं अन्य) की सुनवाई हेतु **प्रीति सिंह, आर.जे.एस. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 लालसोट, जिला-दौसा को दिनांकः 15 जनवरी,2024(सोमवार)** को रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी उक्त कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है।

निर्देशः-01- अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 11.30 ए.एम. से 02.00 पी.एम. तक रहेगा। कोविड-19 संबंधी समस्त गाइड लाइन की पालना कर्तव्य निष्पादन में सुनिश्चित की जावेगी।

02-विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा मुलजिम को पेश करने वाला अधिकारी सम्बन्धित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

03-अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।

04-यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के ठीक पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किये गये थे।

05-नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को ड्यूटी करने में असुविधा है तो वे किसी **अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।**

नोटः-माह जनवरी, 2024 का शेष आदेश यथावत रहेगा। -एसडी-

(स्नेहा जाखड़)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner